

नालन्दा समाहरणालय, बिहारशरीफ

(जिला स्थापना शाखा)

संचिका संख्या 57-17/15/ पत्रांक/स्था0,

दिनांक 16/12/2016

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
नालन्दा ।

सेवा में,

जिला सहकारिता पदाधिकारी,
नालन्दा ।

विषय :- कार्यपालक सहायक उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रसंग :- आपका पत्रांक 818 दिनांक 17.12.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि प्रस्तांगिक पत्र से सहकारिता विभाग के कल्याणकारी कार्यक्रमों यथा धान अधिप्राप्ति, फसल बीमा योजना, सहकारी समितियों के ऑन-लाईन सदस्यता अभियान का ई-प्रबंधन आदि के सफल संचालन के लिए रिक्त पदों पर नियोजन हेतु 03 कार्यपालक सहायक की अधियाचना की गई है । उक्त अधियाचना के आलोक में जिला में संघारित कार्यपालक सहायक के पैनल से रोस्टर बिन्दु के अनुसार निम्नलिखित कार्यपालक सहायक का नाम अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजा जाता है :-

क्र0	रोस्टर बिन्दु	आरक्षण कोटि	कार्यपालक सहायक का नाम	अभ्यर्थी का कोटि	पिता का नाम	जन्म तिथि	आवसीय पता	मोबाईल नं0
1	2	3	4	5	6	8	8	9
1	487	अनारक्षित	कुन्दन कुमार	सामान्य	शियालाल शर्मा	14.10.1993	मो0- खासगंज, पो0+थाना- सोहसराय जिला- नालन्दा	9386717383
2	488	अ0पि0व0	विशाल कुमार गुप्ता	अ0पि0व0	अशोक प्रसाद गुप्ता	01.02.1990	मो0- आशनगर नदीपर पो0+थाना- सोहसराय जिला- नालन्दा	7352574726
3	489	अनारक्षित	मो0 अल्लमश हैदर	सामान्य	मो0 जिया हैदर	12.01.1996	ग्राम- चकदीन, पो0- चकदीन थाना- अस्थावाँ जिला- नालन्दा	9304820204

अतः निम्नांकित शर्तों के अनुसार उपरोक्त कार्यपालक सहायक का नियोजन पत्र अपने स्तर में निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे ।

- उपरोक्त नियोजित कार्यपालक सहायक को प्रति माह 11345/- (ग्यारह हजार तीन सौ पैतालीस) रूपये मानदेय के रूप में भुगतान किया जाएगा । कम्प्यूटर हार्डवेयर के लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगी ।
- नियोजित कार्यपालक सहायक को अपने साथ निम्नलिखित कम्प्यूटर हार्डवेयर लाना होगा ।

क - डेस्क टॉप,

ख- एक प्रिंटर,

ग- एक यू0 पी0 एस0,

घ- इन्टरनेट कनेक्शन हेतु डाटा कार्ड

- कम्प्यूटर हार्डवेयर के लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगी ।

- यह नियोजन अस्थायी रूप से एक वर्ष के लिए अथवा यदि विभाग के द्वारा पहले समाप्त किया जाता है तब उक्त अवधि के लिए होगी एवं आवश्यकतानुसार बढ़ायी जा सकेगी । नियोजित कार्यपालक सहायकों द्वारा किये गये कार्यों का मोनिटरिंग के पश्चात कार्य असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति में बिना कारण बताये संविदा रद्द कर दिया जाएगा ।

ई-मेल :- dm-nalanda.bih@nic.in

दूरभाष सं0 :-06112-235204(R), 235203(O)

फैक्स सं0 :- 06112-235205(R), 236854(O)

जिला वेबसाईट :-http://nalanda.bih.nic.in

8. नियोजित कार्यपालक सहायक को पत्र निर्गत करने के साथ ही नियोजित कार्यपालक सहायक को पत्र प्राप्त होने के बाद नियोजित कार्यपालक सहायक को नियोजित कार्यपालक सहायक के पद पर कार्य करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं शुरू करने के लिए निर्देशित किया जाएगा।
9. नियोजित कार्यपालक सहायक को पत्र प्राप्त के साथ अविलम्ब योगदान देना होगा। अन्यथा उनकी सेवा रद्द कर दी जायेगी।
10. नियोजित अविधि पूर्ण होने से एक माह पूर्व संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा नियोजित कार्यपालक सहायक का कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन एवं कार्य अविधि विस्तार की अनुशंसा भेजना अनिवार्य होगा। समय अनुरंध्या प्राप्त नहीं होने पर संविदा स्वतः रद्द हो जायेगी। इसके लिए कोई अलग से पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा एवं जिला में संश्रित कार्यपालक सहायक के पैनल से रिक्ति स्थान पर नियोजित की प्रक्रिया की जायेगी।

विश्वासभाजन

जिला पदाधिकारी,

नालन्दा।

नालन्दा समाहणालय, बिहारशरीफ

(जिला स्थापना शाखा)

सचिका संख्या 57-17/15/ पत्रांक 60 /स्था0.

दिनांक 16/01/2016

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
नालन्दा ।

सेवा में,

विद्युत कार्यपालक अभियंता,
राजगीर ।

विषय :- कार्यपालक सहायक उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रसंग :- आपका पत्रांक 1661 दिनांक 10.12.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि प्रसांगिक पत्र से कम्प्यूटर कार्य हेतु रिक्त पदों पर 01 कार्यपालक सहायक की अधियाचना की गई है । उक्त अधियाचना के आलोक में जिला में संधारित कार्यपालक सहायक के पैनल से रोस्टर बिन्दु के अनुसार निम्नलिखित कार्यपालक सहायक का नाम अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजा जाता है :-

क्र0	रोस्टर बिन्दु	आरक्षण कोटि	कार्यपालक सहायक का नाम	अभ्यर्थी का कोटि	पिता का नाम	जन्म तिथि	आवसीय पता	मोबाईल नं0
1	2	3	4	5	6	8	8	9
3	490	पि0व0म0	अर्चना भारती	पि0व0म0	मुकेश प्रसाद	05.10.1995	ग्राम+पे0- वरान्डी, थाना- रहुई जिला- नालन्दा	7549391258

अतः निम्नांकित शर्तों के अनुसार उपरोक्त कार्यपालक सहायक का नियोजन पत्र अपने स्तर से निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे ।

- उपरोक्त नियोजित कार्यपालक सहायक को प्रति माह 11345/- (ग्यारह हजार तीन सौ पैतालीस) रूपये मानदेय के रूप में भुगतान किया जाएगा । कम्प्यूटर हार्डवेयर के लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगी ।
- नियोजित कार्यपालक सहायक को अपने साथ निम्नलिखित कम्प्यूटर हार्डवेयर लाना होगा ।

क - डेस्क टॉप,

ख- एक पिंटर,

ग- एक यू0 पी0 एस0,

घ- इन्टरनेट कनेक्शन हेतु डाटा कार्ड

- कम्प्यूटर हार्डवेयर के लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगी ।
- यह नियोजन अस्थायी रूप से एक वर्ष के लिए अथवा यदि विभाग के द्वारा पहले समाप्त किया जाता है तब उस अवधि के लिए होगी एवं आवश्यकतानुसार बढ़ायी जा सकेगी । नियोजित कार्यपालक सहायकों द्वारा किये गये कार्यों का मोनिटरिंग के पश्चात कार्य असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति में बिना कारण बताये संविदा रद्द कर दिया जाएगा ।
- नियोजित कार्यपालक सहायकों द्वारा नियोजित पद से त्याग करने की स्थिति में उन्हें एक माह पूर्व सूचना देनी होगी। निर्धारित समय के अन्दर पद त्याग करने की स्थिति में त्याग पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा और संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी, अथवा एक माह का मानदेय भुगतान रोक ली जायेगी ।
- संविदा पर नियोजित कार्यपालक सहायक का सरकारी सेवा हेतु किसी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- योगदान के साथ अर्सेनिक शल्य चिकित्सा-मह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, अर्थात् प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र से फोटो तथा नियोजन की जर्न को मानने संबंधी पत्रकारणात्मक प्रमाण पत्र कार्यालय में समर्पित करना होगा ।
- अर्थात् प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र पदस्थापित कार्यालय द्वारा संबंधित संस्थान/कार्यालय में मन्व्यपन

- कराने के पश्चात् सही पाये जाने पर ही मानदेय का भुगतान किया जायेगा ।
9. नियोजित कार्यपालक सहायक को पत्र प्राप्ति के साथ अविलम्ब योगदान देना होगा । अन्यथा उनकी संविदा रद्द कर दी जायेगी ।
10. नियोजन अविध पूर्ण होने से एक माह पूर्व संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा नियोजित कार्यपालक सहायक का कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन एवं कार्य अंतिम दिनांक की अनुशंसा भेजना अनिवार्य होगा । समय अनुशंसा प्राप्त नहीं होने पर संविदा स्वतः रद्द हो जायेगी । इसके लिए कोई अलग से पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा एवं जिला में संधारित कार्यपालक सहायक के पैन्ल से रिक्ति स्थान पर नियोजन की प्रक्रिया की जायेगी ।

विश्वासभाजन

जिला पदाधिकारी,
नालन्दा ।

3. कम्प्यूटर हार्डवेयर के लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगी ।
4. यह नियोजन अस्थायी रूप से एक वर्ष के लिए अथवा यदि विभाग के द्वारा पहले समाप्त किया जाता है तब उस अवधि के लिए होगी एवं आवश्यकतानुसार बढ़ायी जा सकेगी । नियोजित कार्यपालक सहायकों द्वारा किये गये कार्यों का मॉनिटरिंग के पश्चात कार्य असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति में विना कारण बताये संविदा रद्द कर दिया जाएगा ।
5. नियोजित कार्यपालक सहायकों द्वारा नियोजित पद से त्याग करने की स्थिति में उन्हें एक माह पूर्व सूचना देनी होगी। निर्धारित समय के अन्दर पद त्याग करने की स्थिति में त्याग पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा और संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी, अथवा एक माह का मानदेय भुगतान रोक ली जायेगी ।
6. संविदा पर नियोजित कार्यपालक सहायक का सरकारी सेवा हेतु किसी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
7. योगदान के साथ असैनिक शल्य चिकित्सा-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र दो फोटो तथा नियोजन की शर्त को मानने संबंधी एकरारनामा पदस्थापित कार्यालय में समर्पित करना होगा ।
8. शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र पदस्थापित कार्यालय द्वारा संबंधित संस्थान/कार्यालय से सत्यापन कराने के पश्चात् सही पाये जाने पर ही मानदेय का भुगतान किया जायेगा ।
9. नियोजित कार्यपालक सहायक को पत्र प्राप्ति के साथ अविलम्ब योगदान देना होगा । अन्यथा उनकी संविदा रद्द कर दी जायेगी ।
10. नियोजन अविध पूर्ण होने से एक माह पूर्व संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा नियोजित कार्यपालक सहायक का कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन एवं कार्य अवधि विस्तार की अनुशंसा भेजना अनिवार्य होगा । ससमय अनुशंसा प्राप्त नहीं होने पर संविदा स्वतः रद्द हो जायेगी । इसके लिए कोई अलग से पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा एवं जिला में संधारित कार्यपालक सहायक के पैनल से रिक्ति स्थान पर नियोजन की प्रक्रिया की जायेगी ।

विश्वासभाजन

जिला पदाधिकारी,

नालन्दा ।

नालन्दा समाहरणालय, बिहारशरीफ
(जिला स्थापना शाखा)

संकेता संख्या68-14/16. ज्ञापांक/स्था0, दिनांक/2016

:- आदेश :-

सरकार के अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, विहार, पटना के पत्रांक 339 दिनांक 18.04.2016 के आलोक में विहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम- 2015 के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करने हेतु श्री अर्जीत कुमार कार्यपालक सहायक (विधि) के द्वारा नियोजित पद से त्यागपत्र देने के कारण हुए रिक्त पद के विरुद्ध जिला में संधारित कार्यपालक सहायक के पैनल से रीस्टर विन्दु अनुमार निम्नलिखित कार्यपालक सहायक (विधि) को नियोजित एवं पदस्थापित किया जाता है। उन्हें निदेशित किया जाता है कि वे अपने पदस्थापन कार्यालय में अपना योगदान अविलंब देना मुनिश्चित करेंगे।

क्र 0	रोस्टर विन्दु	आरक्षण कोटि	कार्यपालक सहायक का नाम	पिता/पति का नाम	पता एवं मोबाईल नं0	कोटि	जन्म तिथि	पदस्थापन कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	495	अनाश्रित	गोपाल जी	कुमार राजेश	ग्राम- नारायणपुर, पोस्ट- वाँसडाँह, थाना- थरथरी, जिला- नालन्दा। मौ0- 9525273138	सामान्य	25.02.1992	अनुमंडल कार्यालय दिवसा

नियोजन के लिए शर्तें :-

- उपरोक्त नियोजित कार्यपालक सहायक को प्रति माह 11345/- (ग्यारह हजार तीन सौ पैतालीस) रुपये मानदेय के रूप में भुगतान किया जाएगा। कम्प्यूटर हाडवेयर के लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगी।
- नियोजित कार्यपालक सहायक को अपने साथ निम्नलिखित कम्प्यूटर हाडवेयर लाना होगा।
क - डेस्क टॉप, ख- एक प्रिंटर,
ग- एक यू0 पी0 एस0, घ- इन्टरनेट कनेक्शन हेतु डाटा कार्ड
- कम्प्यूटर हाडवेयर के लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगी।
- यह नियोजन अस्थायी रूप से एक वर्ष के लिए अथवा यदि विभाग के द्वारा पहले समाप्त किया जाता है तब उस अवधि के लिए होगी एवं आवश्यकतानुसार बढ़ायी जा सकेगी। नियोजित कार्यपालक सहायकों द्वारा किये गये कार्यों का मोनिटरिंग के पश्चात कार्य असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति में विना कारण बताये संविदा रद्द कर दिया जाएगा।
- नियोजित कार्यपालक सहायकों द्वारा नियोजित पद से त्याग करने की स्थिति में उन्हें एक माह पूर्व सूचना देनी होगी। निर्धारित समय के अन्दर पद त्याग करने की स्थिति में त्याग पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा और संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी, अथवा एक माह का मानदेय भुगतान रोक ली जायेगी।
- संविदा पर नियोजित कार्यपालक सहायक का सरकारी सेवा हेतु किसी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- योगदान के साथ असैनिक शल्य चिकित्सा-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र दो फोटो तथा नियोजन की शर्त को मानने संबंधी एकरारनामा पदस्थापित कार्यालय में समर्पित करना होगा।
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र पदस्थापित कार्यालय द्वारा संबंधित संस्थान/कार्यालय से सत्यापन कराने के पश्चात सही पाये जाने पर ही मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
- नियोजित कार्यपालक सहायक को पत्र प्राप्ति के साथ अविलम्ब योगदान देना होगा। अन्यथा उनकी संविदा रद्द कर दी जायेगी।
- नियोजन अविध पूर्ण होने से एक माह पूर्व संबंधित निर्गम पदाधिकारी द्वारा नियोजित कार्यपालक सहायक का पद संश्लेषण एवं विवरण एवं कार्य अवधि विस्तार की अनुमति भेजना अनिवार्य होगा। ससमय अनुमति प्राप्त नहीं होने

000

जिला पदाधिकारी,

नालन्दा ।

जापांक/स्था०, दिनांक

- प्रतिलिपि :- संवधित कार्यपालक सहायक (विधि) को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि:- संवधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, लोक शिकायत निवारण कोषांग, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी,ई-गवर्नेंस कोषांग, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
प्रतिलिपि :- अमेनिक शल्य चिकित्सक -सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

जिला पदाधिकारी,
नालन्दा ।